

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा 212 R.T. Act विपक्षी बालु कौर
पत्रावली संख्या 67/16 सन (घा.प.प.)

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

30/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी/अप्राथी/ प्रतिवादी / विपक्षी / रसपो उपस्थित/पीठासीन- अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 1.9.18/18 ...को पेश हा.

किशोर

19/11/18 पत्रावली तलब की गई। राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली केय. दिनांक 21/11/18 ...को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

21/11/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत छेम्प छलिचड़ा में पेश हुई। मुल बाद में राजीनामा देकर मुल बाद स्वीकार किया जाकर आरम्भिक रिडी जारी हो जा चुकी है। अतः मुल बाद में बरवाड़ा देने लक्ष उच्चय पक्ष को पाबंद किया जाना उचित है अतः मौजा छलिचड़ा परवार मण्डल छलिचड़ा के आ. नं. 1017 रकबा 14 बिघा 4 बिस्वा, एवं आ. नं. 1019 रकबा 14 बिघा 6 बिस्वा भूमि में मुल बाद में बरवाड़ा देकर अन्तिम रिडी जारी देने लक्ष

हस्ताक्षर

किशोर

आधुनिक

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

P.T-0

उभय पक्षद्वारा राजस्व रेकर्ड व गौड
की यथा-स्थिति बनाये रखे। अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पिपडी-स. 1 द्वारा
प्रस्तुत जवाब व/र शर्तियां कार्रवाई रहे।

पत्रावली कुशल सुमार
घेडर नम्बर से छम घे।

निर्णय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SBO) नावली